

२४/७
२५

पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी के
वार-वार आवाज लगाई गई। वार-
वार आवाज लगाने के पश्चात भी
प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय
में हाजिर नहीं आये। अतः प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कन्टम्प्ट
अक्ट्म हाजरी अक्ट्म पैरवी में
खारिज किया जाता है पत्रावली फलत
१५ नुमांर होकर नम्बर ६ से कम होकर
दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
द्वारा रामगढ़